राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 15 (3) (7) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2023/80936 जयपुर, दिनांक : 2/1/2024

आदेश

पालनहार योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2023–24 में निर्धारित समायावधि 31.12.2023 तक वार्षिक सत्यापन (नवीनीकरण) नहीं करवाये जाने के कारण अस्थाई रूप से निरस्त (Temporary Reject) होने वाले आवेदन पत्रों को वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) करवाने हेतु निर्धारित समायावधि में छूट प्रदान करते हुए आवेदकों को दिनांक 31.01.2024 तक सत्यापन करवाने हेतु एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आवेदकों का शैक्षणिक सत्र 2023–24 का बकाया राशि का भुगतान नियमानुसार वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) होने के उपरान्त किया जायेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(जगजीत सिंह मोंगा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 15 (3) (7) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2023/80937-81237 जयपुर, दिनांक : 2/1/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, ...।
4. जिला कलेक्टर, ... को भेजकर निवेदन है कि आपके जिले में योजनान्तर्गत लम्बित सत्यापन पूर्ण करवाने हेतु सम्बंधित विभागों को निर्देशित करने का श्रम करावें।
5. सिस्टम एनालिस्ट (उप निदेशक), सान्याअवि, मुख्यावास को पालनहार पोर्टल पर उक्त प्रावधान उपलब्ध करवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि .... को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लम्बित समस्त पालनहारों/बच्चों का नवीनीकरण (सत्यापन) संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित समायावधि 31.01.2024 तक शत्–प्रतिशत करवाना सुनिश्चित करावें। साथ ही प्रतिदिवस की प्रगति रिपोर्ट निदेशालय के पालनहार व्हाट्सएप ग्रुप पर भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ... को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके ब्लॉक में वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) से लम्बित समस्त पालनहारों/बच्चों का सत्यापन निर्धारित समायावधि में करवाना सुनिश्चित करें।
8. आदेश पत्रावली।

RajKaj Ref
5260753

Signature valid
Digitally signed by Jagjeet Singh Monga
Designation: Director
Date: 2024.01.01 19:05:57 IST
Reason: Approved

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव